



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर - 452 001

पृ.कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2019/278

दिनांक : 17 FEB 2019

// संशोधित अधिसूचना //

आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश दिनांक 05.02.2019 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना कमांक पृ.कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2019/03 दिनांक 01.01.2019 में सम्बद्धता आवेदन तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/निरंतरता/सीट संख्या वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय/नवीन विषय प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल/केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रों) के साथ MP Online के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, 18 % जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क्र	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय में MP Online के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृहविज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2019-20 में नवीन सम्बद्धता/नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने/अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि।	10 फरवरी, 2019
2	50 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) आवेदन करने की अंतिम तिथि।	15 फरवरी, 2019
3	राज्य शासन की अपील में मान्य प्रकरणों के लिये विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि।	10 मार्च, 2019
4	राज्य शासन की अपील में मान्य प्रकरणों के लिये 50 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि।	15 मार्च, 2019

महाविद्यालय MP Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात् पाँच दिवस के अन्दर सम्पूर्ण आवेदनपत्र (PART-A) मय संलग्नको/प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार प्लेग के साथ प्राचार्य/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जावे। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी।

आदेशानुसार,

(Signature)

कुलसचिव

पृ.कं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2019/278

दिनांक 17 FEB 2019

प्रतिलिपि :-

1. सम्पादक, दैनिक _____ की ओर भेजते हुए निवेदन है